

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

वाहन नीलाम विज्ञप्ति

कमांक-२७३४/विधिक/विक्रय समिति/2024

दमोह दिनांक-०१/११/२०२४


सर्वसाधारण को इस नीलाम विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, हटा न्यायालय परिसर में स्थित अनुपयोगी (1) शासकीय वाहन कमांक एम.पी.-02 एच.सी.-0161 महिन्द्रा जायलो कार की निष्प्रयोजित राशि रुपये 1,60,000/-मात्र (जहां है, जिस स्थिति में है) उक्त शासकीय वाहन को दिनांक-15.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे एवं जिला न्यायालय दमोह के परिसर में स्थित अनुपयोगी (2) शासकीय वाहन कमांक एम.पी.-02 एच.सी.-0222 टाटा इंडिगो माजा कार की निष्प्रयोजित राशि रुपये 1,50,000/-मात्र (जहां है, जिस स्थिति में है), उक्त शासकीय वाहन को दिनांक-16.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है। उक्त नीलामी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के नाम से दोनों शासकीय वाहनों हेतु पृथक-पृथक देय राशि 3,500/-रुपए मात्र का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर भाग लिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार वाहनों की खुली निविदा के माध्यम से नीलामी हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं -

--:निविदा की शर्तें:-


01. शासकीय वाहन कमांक एम.पी.-02 एच.सी.-0222 टाटा इंडिगो माजा कार दमोह की निष्प्रयोजित राशि रुपये 1,50,000/- मात्र (शासकीय बोली) नियत है।
02. शासकीय वाहन कमांक एम.पी.-02 एच.सी.-0161 महिन्द्रा जायलो तहसील न्यायालय हटा जिला-दमोह निष्प्रयोजित राशि रुपये 1,60,000/- मात्र (शासकीय बोली) नियत है।
03. उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहनों की नीलामी में लेने/बोली लगाने हेतु दोनों शासकीय वाहनों हेतु पृथक-पृथक अमानत राशि रुपये 3,500/- मात्र (रुपये तीन हजार पांच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के नाम देय, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
04. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गयी पूरी राशि जमा करने के पश्चात् लौटाया जावेगा।
05. किसी भी बोली को बिना कारण बताये पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार सर्वथा, "विभागीय नीलामी समिति" दमोह को प्राप्त होगा।
06. अतः नियत दिनांक के पूर्व संबंधित बोलीकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार वाहनों का अवलोकन उपरोक्तानुसार स्थल पर किया जा सकेगा।
07. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
08. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन केता को प्रदान किया जावेगा।
09. अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 07 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह के नाम पर देय हो, जमा करवाकर वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगा।

10. संबंधित वाहन क्रमांक शासकीय वाहन क्रमांक **एम.पी.-02 एच.सी.-0222** टाटा इंडिगो माजा कार दमोह के भौतिक निरीक्षण हेतु न्यायालय दमोह जिला दमोह परिसर में उपलब्ध है एवं शासकीय वाहन क्रमांक **एम.पी.-02 एच.सी.-0161 महिन्द्रा जायलो** तहसील न्यायालय हटा परिसर में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर दमोह/हटा सं कार्यालयीन दिनांक/समय में संपर्क किया जा सकता है।
11. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहनों को कय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।
12. अनुपयोगी शासकीय वाहनों के विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहनों का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम पंजीयन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।
13. वाहन क्रमांक चेचिस नंबर, इंजिन नंबर का मिलान निविदाकार को नीलामी स्थान पर ही करना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति कय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।
14. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलिकरण स्थापना पर गठित विभागीय नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
15. दमोह न्यायालय परिसर में स्थित शासकीय वाहन क्र. एम.पी.-02 एच.सी.-0222 टाटा इंडिगो माजा कार के संबंध में पूछताछ हेतु श्री सौरभ मिश्रा (विक्रय आमीन) के दूरभाष नंबर 8109789960 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।
16. हटा न्यायालय परिसर में स्थित शासकीय वाहन क्र. **एम.पी.-02 एच.सी.-0161 महिन्द्रा जायलो** कार के संबंध में पूछताछ हेतु श्री नेकराम साहू (नायब नाजिर, हटा) के दूरभाष नंबर 9893599593 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।


 कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 दमोह (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर दमोह को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड पर नीलाम विज्ञप्ति चरपा किया जाना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, दमोह को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर पालिका कार्यालय नोटिस बोर्ड पर नीलाम विज्ञप्ति चरपा किया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिला नाजिर, दमोह को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के नोटिस बोर्ड पर नीलाम विज्ञप्ति चरपा किया जाना सुनिश्चित करें।
4. श्री नेकराम साहू, नायब नाजिर हटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 दमोह (म.प्र.)